प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 23.09.2025

महिला थाना पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में लूट/चोरी/छिनेती की घटना को कारित करने वाले 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार व कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्कूटी, 01 टबलेट, 01 फोन चोरी का बरामद एवं अवैध अस्लाह व कारतूस बरामद।

दिनांक 22.09.2025 की रात्रि में महिला थाना पुलिस टीम द्वारा चौकी लोहिया नगर के पास चैकिंग की जा रही थी चैकिंग के दौरान एक स्कूटी सवार बदमाश मेरठ रोड़ की तरफ से आता दिखायी दिया। जिसे इशारे एवं चार्ट की रोशनी में रोकने का प्रयास किया गया किन्तु नही रुका। स्कूटी सवार बदमाश द्वारा स्कूटी को पीछे मोडकर दाहिने और रास्ते की ओर भागने लगा। जिसका पीछा पुलिस द्वारा किया तथा स्कूटी सवार व्यक्ति मोड़ पर ही अनियन्त्रित होकर फिसल कर गिर गया। जिसको पुलिस पार्टी द्वारा आत्मसर्मपण हेतु कहा गया तो पुलिस पार्टी को अपनी ओर आता देख स्कूटी सवार बदमाश ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करते हुये भागने का प्रयास किया गया। जिसमें आत्मरक्षार्थ में महिला पुलिस पार्टी द्वारा भी सिखलाये गये तरीके से बदमाश पर फायरिंग की गयी जिसमें स्कूटी सवार बदमाश घायल हो गया। घायल अभियुक्त जितेन्द्र पुत्र नन्दकिशोर निवासी कुंए वाली गली सैक्टर 9 थाना विजयनगर गाजियाबाद को मौके पर ही स्कूटी सवार बदामाश को अवैध अस्लाह एवं चोरी के टैबलेट व मोबाईल के साथ गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्त जितेन्द्र उपरोक्त को उपचार हेतु जिला एमएमजी गाजियाबाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि साहब मैं एनसीआर क्षेत्रों से मोटर साईकिल/स्कूटी आदि चोरी करके उसका प्रयोग करके रहा चलते व्यक्तियों से उनके फोन, रूपये, आदि सामान छीन कर भाग जाता हूं तथा सामान को सस्ते दामों में बेचकर जो रूपया मिलता उससे अपने शौक पूरे करता हूं। साहब जो टैबलेट तथा फोन मुझसे बरामद हुये है वह भी मैंने कल रात में थाना क्रासिंग रिपब्लिक कमला हॉल के पास एक मकान से चोरी किये थे तथा जो स्कूटी मुझसे बरामद हुई है वह भी मैने पिछले साल दिल्ली से चोरी की थी।

नाम पता अभियुक्तः -

1. जितेन्द्र पुत्र नन्दकिशोर निवासी कुंए वाली गली सैक्टर- 9 थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

1. घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी DL11SM5936 1
2. 01 टैबलेट (SUMSUNG)
3. 01 मोबाईल फोन (SUMSUNG)
4. 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं खोखा कारतूस।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त जितेन्द्र उपरोक्त पर 08 अभियोग लूट/चोरी/छीनैती से सम्बन्धित थाना विजयनगर पर पंजीकृत है।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

महिला थाना पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 03.08.2025 को थाना मोदीनगर पर वादिया द्वारा नामजद तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण द्वारा वादिया के बेटे व अन्य कालोनी वासी के साथ जान से मारने की नियत से मारपीट कर धमकी देना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर सुसंगत धारा 191(2)/115(2)/351(3)/109(1)/117(2) भारतीय न्याय संहिता - 2023 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात दिनांक 22.09.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सागर शर्मा पुत्र मनोज शर्मा निवासी गली नं0 1 धर्मपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान घटना कारित करने का इकबाल करते हुये बताया की उसने व उसके साथियों ने आवेश में आकर कहासुनी के दौरान वादिया व उसके पुत्रों व अन्य व्यक्तियों पर हमला कर दिया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

सागर शर्मा पुत्र मनोज शर्मा निवासी गली नं0 1 धर्मपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष

वांछित अभियुक्त

1- रोहित पुत्र सतीश निवासी धर्मपुरी थाना मोदीनगर
2- अनुज पुत्र राजकुमार निवासी धर्मपुरी गली न0 3 थाना मोदीनगर
3- हर्ष उर्फ आशू पुत्र बबलू निवासी धर्मपुरी थाना मोदीनगर
4- यश्शु पुत्र बबली निवासी गली न0 1 धर्मपुरी थाना मोदीनगर

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम ।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 13.08.2025 को थाना मुरादनगर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त पिन्टू द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष को बहला फुसलाकर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अपहर्ता की बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा अपहर्ता को बरामद किया गया तथा अपहर्ता/पीडिता के धारा 181 व 183 बीएनएसएस के बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 64 बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 23.09.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त पिन्टू पुत्र नन्दजीराम नि0 सी 43 गली न0 04 नियर हनुमान मंदिर राजा बिहार बादली थाना बादली दिल्ली मूल पता – ग्राम तरैया सराय थाना तमकुईराज जिला कुशीनगर उम्र करीब 30 वर्ष को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरी वादिया की पुत्री से कई महीनों से बातचीत थी, मैं वादिया की पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था और मौका पाकर मैंने वादिया की पुत्री के साथ शारीरिक संबध भी बना लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अभियुक्त पिन्टू पुत्र नन्दजीराम नि0 सी 43 गली न0 04 नियर हनुमान मंदिर राजा बिहार बादली थाना बादली दिल्ली मूल पता – ग्राम तरैया सराय थाना तमकुईराज जिला कुशीनगर 30 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा 315 बोर व जिन्दा कारतूस बरामद।

दिनांक 22.09.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा रात्रिकालीन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर चौकी क्षेत्र बन्थला के बन्द फाटक से अवैध देशी तमंचा 315 बोर व जिन्दा कारतूस के साथ अभियुक्त मनीष उर्फ मन्नू पुत्र मोहनलाल निवासी म0न0 8 गली न0 1 फेज 4 33 फुटा रोड शिव विहार करावल नगर पूर्वोत्तर दिल्ली उम्र 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी पर धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं यह अवैध तमंचा लोगों में रौब दिखाने के लिए अपने पास रखता हूँ। मैं यह तमंचा लेकर घूम रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मनीष उर्फ मन्नू पुत्र मोहनलाल निवासी म0न0 8 गली न0 1 फेज 4 33 फुटा रोड शिव विहार करावल नगर पूर्वोत्तर दिल्ली उम्र 28 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त मनीष उर्फ मन्नू उपरोक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बार्डर पर 02 अभियोग चोरी एवं चोरी का सामान बरामदगी के सम्बन्ध में दर्ज है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा गैराज से चोरी की घटना कारित करने वाला मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल बरामद।

दिनांक 22.09.2025 को वादी श्री फिरोज निवासी हापुड द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर लिखित तहरीर दी गई कि उसके ओमविहार स्थित कार वर्कशाप में चोरी हो गयी है तथा वहां से लगभग सारा सामान जिसमें एलाय व्हील, वायरिंग कार, कार ए.सी. कम्प्रेशर, अल्टीनेटर, कार डेकोरेशन लाइट, बैटरी तथा टायर, टूल किट इत्यादि सामान चोरी हो गये एवं जानकारी करने पर पता चला कि फैजान कबाडी ने अपने साथियो के द्वारा इस चोरी को करवाया है। इस सूचना पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 305 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर जांच की गयी तथा आस पास कैमरो को चैक किया गया तथा मैनुअल इन्पुट के माध्यम से पाया गया की फैजान कबाडी ने अपने साथियों के साथ उक्त घटना को अंजाम दिया है तथा प्रकरण में माल व अभियुक्तों की तलाश हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

दिनांक 22.09.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उक्त घटना को अंजाम देने वाले मुख्य अभियुक्त फैजान उर्फ समीर पुत्र पुत्तन हुसैन निवासी सर्वे यू0पी0 ग्रामीण बैंक के पास डूंडाहेडा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद मूल पता नई वाली मस्जिद के पास बनियाठेर थाना बनिया ठेर तहसील चन्दौसी जिला सम्भल उम्र 21 वर्ष को कबाड़ की दुकान डूंडाहेडा से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से उपरोक्त चोरी की घटना से संबंधित सामान 03 गाडी की नम्बर प्लेट,

01 एयर फिल्टर बॉडी, 01 पॉवर स्टेरिंग रेक, 01 जैक, टूल किट चाबी पाना पाईप रिन्च आदि, 02 टायर व्हील ब्रेक हब , 01 ग्लेण्डर, 02 कार स्टीरियो आईबाल व सोनी सीडी चेंजर, 01 कार की जली हुई वायरिंग, 01 कार का एसी कम्प्रेशर, 01 कार फ्यूल पम्प, 02 रेडियेटर मोटर, 01 स्टफनी, 01 कूलर किट, 04 टायर 16 इंची, 01 टायर 13 इंची, कार डेकोरेशन लाइट लगभग 50 फीट , 01 एलायवहील, 01 कार फ्यूल पम्प , 02 रेडियेटर मोटर , 01 कूलर किट बरामद हुए। चोरी के सामान की बरामदगी के सम्बन्ध में अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त फैजान उपरोक्त ने बताया कि मैं कबाडी की दुकान करता हूँ, मेरा काम ठीक नहीं चल रहा था। मैं शम्भू व बिट्टू निवासी डूंडाहेडा व उनका साथी अरसद उर्फ गज्जू को पहले से जानता था। मैंने इन तीनों को पैसे का लालच देकर ओम विहार में बन्द पडे कार गैराज से कार का सामान चुरा लिया था व शम्भू, बिट्टू व उनके साथी अरसद उर्फ गज्जू को पैसे दे दिये थे तथा सामान मैंने अपने गैराज में छुपा कर रख लिया था जिसको निकाल कर बेचने वाला था कि पुलिस ने पकड लिया और सामान बरामद कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

फैजान उर्फ समीर पुत्र पुत्तन हुसैन निवासी सर्वे यू0पी0 ग्रामीण बैंक के पास डूंडाहेडा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद मूल पता नई वाली मस्जिद के पास बनियाठेर थाना बनियाठेर तहसील चन्दौसी जिला सम्भल उम्र 21 वर्ष।

वांछित अभियुक्तगण का नाम व पता–

1. शम्भू 2. बिट्टू निवासीगण डूंडाहेडा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक 3. अरसद उर्फ गज्जू पता अज्ञात

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

03 गाडी की नम्बर प्लेट, 01 एयर फिल्टर बॉडी, 01 पॉवर स्टेरिंग रेक, 01 जैक, टूल किट चाबी पाना पाईप रिन्च आदि, 02 टायर व्हील ब्रेक हब ,01 ग्लेण्डर, 02 कार स्टीरियो आईबाल व सोनी सीडी चेंजर, 01 कार की जली हुई वायरिंग, 01 कार का एसी कम्प्रेशर, 01 कार फ्यूल पम्प, 02 रेडियेटर मोटर, 01 स्टफनी, 01 कूलर किट, 04 टायर 16 इंची, 01 टायर 13 इंची, कार डेकोरेशन लाइट लगभग 50 फीट , 01 एलायव्हील, 01 कार फ्यूल पम्प , 02 रेडियेटर मोटर , 01 कूलर किट बरामद।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा आगजनी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 20.09.2025 को वादी श्री धमेन्द्र सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह निवासी बिल्डिंग न0 130, आकाश विहार कालोनी, लोनी गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि शरद सिटी स्थित मेरी फॉम की गोदाम है, जिसमें मेरे फॉम का कच्चा माल, ई-रिक्शा लोडर तथा फॉम काटने वाली मशीने रखी हुई थी, उस गोदाम में दुश्मनी में आकर सिराजू उर्फ सिराज अहमद नाम के व्यक्ति ने मेरे गोदाम का ताला तोड़ कर आग लगा दी तथा मुझे मारने की धमकी दी और मेरे किरायेदार के साथ भी मारपीट की। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल सुसंगत धारा 326(G)/115(2)/351(2)/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 23.09.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सिराजू उर्फ सिराज अहमद पुत्र नियाज अहमद निवासी शास्त्री पार्क निकट गुलाम मस्जिद दिल्ली, उम्र करीब 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त सिराजू उर्फ सिराज अहमद उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि साहब पहले वादी धर्मेन्द्र सिंह का गोदाम दिल्ली में स्थित था और मै वहां पर माल सप्लायर का काम करता था। करीब 02 साल पहले बाढ आ जाने के कारण वादी के गोदाम में रखा मेरा सामान बाढ में बह गया था। जब मैने अपने सामान के पैसे वादी धर्मेन्द्र सिंह से मांगे तो वह बार बार समय मांग लेता था और करीब 02 सालो से मेरे पैसे नही दे रहा था। दिनांक 18.09.25 को जब मै अपने पैसे मांगने के लिए शरद सिटी स्थित वादी के गोदाम पर गया तो धर्मेन्द्र सिंह वहां पर नही मिला। वहां पर उसका किरायेदार राजू मिला, तो मैने राजू से कहा कि अपने मालिक धर्मेन्द्र को फोन मिलाओ और मेरी बात कराओ, मैने राजू के फोन से धर्मेन्द्र सिंह से फोन पर बात की और फोन पर अपने पैसे न लौटाने को लेकर धर्मेन्द्र के साथ गाली गलोच की और धमकी दी कि अगर तुमने पैसे नही लौटाए तो अच्छा नही होगा। फिर मैने राजू के साथ भी मारपीट की तो राजू गोदाम का ताला लगाकर भाग गया। फिर मैने गुस्से में आकर गोदाम का ताला तोडा और गोदाम के अन्दर चला गया और गोदाम में आग लगाकर वहां से चला गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

सिराजू उर्फ सिराज अहमद पुत्र नियाज अहमद निवासी शास्त्री पार्क निकट गुलाम मस्जिद दिल्ली, उम्र करीब 30 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार व कब्जे से 05 मोटर साइकिल चोरी , एक एलिन - की एवं 02 अवैध चाकू बरामद।

दिनांक 23.09.2025 की रात्रि में थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग के दौरान 04 अभियुक्त 1. शिवम कुमार उर्फ शिब्बू पुत्र महेश कुमार निवासी 638, गली नं0 8, भीम नगर थाना क्रासिंग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद 2. दीपक पुत्र रवि कुमार निवासी 254/10, लट्ठमार कालोनी, थाना क्रासिंग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद 3. सुबोध उर्फ पटवारी पुत्र शिव कुमार निवासी 1068, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर बागू, थाना क्रासिंग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद 4. ध्रुव पुत्र नवनीत निवासी रायल जिम के सामने वाली गली बीस फुटा बागू, थाना क्रासिंग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद को रेलवे मंदिर के पास थाना विजयनगर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग मिलकर दिल्ली व एनसीआर क्षेत्र में रोड़, बाजार , व भीड़ भाड़ इलाको में मोटर साइकिल को चोरी कर लेते है तथा उन मोटर साईकिल को सस्तेदामों पर बेच देते है। साहब आज जो हमसे मोटर साईकिल बरामद हुई है वह भी हमने चोरी की थी । जिन्हे हम बैचने की फिराकर में घूम रहे थे कि पुलिस द्वारा पकड़ लिये गये।

नाम पता अभियुक्त

1. शिवम कुमार उर्फ शिब्बू पुत्र महेश कुमार निवासी 638, गली नं0 8, भीम नगर थाना क्रासिंग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष।
2. दीपक पुत्र रवि कुमार निवासी 254/10, लट्ठमार कालोनी, थाना क्रासिंग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।
3. सुबोध उर्फ पटवारी पुत्र शिव कुमार निवासी 1068, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर बागू, थाना क्रासिंग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष ।
4. ध्रुव पुत्र नवनीत निवासी रायल जिम के सामने वाली गली बीस फुटा बागू, थाना क्रासिंग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

1. मोटर साइकिल टीवीएस स्टार सिटी रजिस्ट्रेशन नं0 UP14CQ3070
2. मोटर साइकिल अपाचे RTR 180 रजिस्ट्रेशन नं0 DL8SCD9422
3. मोटर साइकिल हीरो स्पेलेण्डर रजिस्ट्रेशन नं0 DL5SAW9877
4. मोटर साइकिल हीरो स्पेलेण्डर रजिस्ट्रेशन नं0 DL5SAW9877
5. मोटर साइकिल होन्डा साइन रजिस्ट्रेशन नं0 UP14DP6296
6. 02 अवैध चाकू।
7. 01 एलिन – की।

<u>अभियुक्तों का अपराध इतिहासः-</u>

अभियुक्त शिवम उर्फ शिब्बू पर - 01 अभियोग चोरी से सम्बन्धित कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर तथा उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना विजयनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त दीपक पर - उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना विजयनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त सुबोध पर- उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना विजयनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त ध्रुव पर – थाना विजयनगर पर 01 अभियोग मारपीट से सम्बन्धित तथा उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना विजयनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-</u>

थाना विजयनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

काली फिल्म, अवैध लाल/नीली बत्ती, हूटर, प्रेशर हॉर्न एवं अवैध /बिना नंबर प्लेट के विरुद्ध प्रभावी अभियान

पुलिस आयुक्त के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था/यातायात) के पर्यवेक्षण में यातायात पुलिस व नागरिक पुलिस द्वारा काली फिल्म, अवैध रूप से लगाई गई लाल/नीली बत्ती, हूटर एवं प्रेशर हॉर्न के प्रयोग, बिना नंबर प्लेट अथवा अवैध नंबर प्लेट, वाहनों पर शासकीय पदनामों अथवा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाया गया। उक्त अभियान के अंतर्गत गाजियाबाद पुलिस द्वारा कुल 225 स्थानों पर विशेष चेकिंग की कार्यवाही की गयी। इस विशेष अभियान के दौरान अपर पुलिस उपायुक्त, यातायात, सभी सहायक पुलिस आयुक्त- यातायात, सभी सम्बंधित सहायक पुलिस आयुक्त गण अपने-

अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर निरंतर निगरानी करते रहे एवं कार्यवाही को सुनिश्चित किया। अभियान के अंतर्गत गाजियाबाद पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

- सभी उल्लंघनों में किये गए कुल चालान : 2,642
- ब्लैक फिल्म के कुल चालान : 273
- हूटर के कुल चालान : 34
- प्रेशर हॉर्न के कुल चालान : 32
- बिना नंबर/अवैध नंबर प्लेट के कुल चालान : 265
- शासकीय तथा जातिसूचक लिखे वाहनों के कुल चालान : 62
- सीज किये गए कुल वाहन : 16

यह अभियान यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने, सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किये जाने एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत निरंतर रूप से जारी रहेगा।

अपील :-

गाजियाबाद पुलिस सभी वाहन चालकों से अनुरोध करती है, कि मोटर वाहन अधिनियम एवं सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करें। अवैध उपकरणों/सज्जाओं का प्रयोग न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए भी खतरा उत्पन्न करता है।

अपर पुलिस उपायुक्त, यातायात
कमिश्नरेट-गाजियाबाद।

सहायक पुलिस आयुक्त इन्दिरापुरम एवं थाना इन्दिरापुरम पुलिस/एन्टी रोमियो स्क्वाड टीम द्वारा "मिशन शक्ति – 5.0" अभियान के अंतर्गत स्कूल के 60 छात्राओं को अध्यापक/अध्यापिकाओं के साथ महिला सुरक्षा व महिला सशक्तीकरण के सम्बन्ध में जागरुक किया गया ।

माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए समर्पित "मिशन शक्ति – 5.0" का शुभारम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को सशक्त करने हेतु विभिन्न प्रकार के आयोजन एवं जागरूकता अभियान प्रचलित किए जा रहे हैं । जिसके क्रम में सहायक पुलिस आयुक्त इन्दिरापुरम एवं थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम, एन्टी रोमियो स्क्वाड थाना इन्दिरापुरम टीम द्वारा संयुक्त रुप से मिशन शक्ति-5 अभियान के अन्तर्गत जयपुरिया स्कूल के 60 छात्राओं को महिला सुरक्षा व महिला सशक्तीकरण के सम्बन्ध में जागरूक करते हुए लैंगिक अपराध, साइबर सुरक्षा व विभिन्न हेल्पलाइन-1090, 181, 112, 1098, 1076 आदि के बारे में जानकारी दी गई एवं जागरुकता हेतु पम्पलेट वितरण किये गये ।

प्रचार प्रसार करने वाली पुलिस टीमः-

सहायक पुलिस आयुक्त इन्दिरापुरम एवं थाना इन्दिरापुरम पुलिस/एन्टी रोमियो स्क्वाड टीम।

सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद एवं थाना साहिबाबाद पुलिस/एन्टी रोमियो स्क्वाड टीम द्वारा "मिशन शक्ति – 5.0" अभियान के अंतर्गत रामलीला ग्राउंड शनि चौक साहिबाबाद में 80 महिलाओं को महिला सुरक्षा व महिला सशक्तीकरण के सम्बन्ध में जागरुक किया गया।

माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए समर्पित "मिशन शक्ति – 5.0" का शुभारम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को सशक्त करने हेतु विभिन्न प्रकार के आयोजन एवं जागरूकता अभियान प्रचलित किए जा रहे हैं। जिसके क्रम में सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद एवं थाना साहिबाबाद पुलिस टीम, एन्टी रोमियो स्क्वाड थाना साहिबाबाद टीम द्वारा संयुक्त रुप से मिशन शक्ति-5 अभियान के अन्तर्गत रामलीला ग्राउंड शनि चौक साहिबाबाद में 80 महिलाओं को महिला सुरक्षा व महिला सशक्तीकरण के सम्बन्ध में जागरूक करते हुए लैंगिक अपराध, साइबर सुरक्षा व विभिन्न हेल्पलाइन-1090, 181, 112, 1098, 1076 आदि के बारे में जानकारी दी गई एवं जागरुकता हेतु पम्पलेट वितरण किये गये।

प्रचार प्रसार करने वाली पुलिस टीमः-

सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद एवं थाना साहिबाबाद पुलिस/एन्टी रोमियो स्क्वाड टीम।

थाना लोनी पुलिस/एन्टी रोमियो स्क्वाड टीम द्वारा मिशन शक्ति-5 अभियान के अंतर्गत स्कूल के 50 बच्चों को अध्यापिकाओं के साथ महिला सुरक्षा व महिला सशक्तीकरण के सम्बन्ध में जागरुक किया गया।

माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए समर्पित 'मिशन शक्ति–5.0' का शुभारम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को सशक्त करने हेतु विभिन्न प्रकार के आयोजन एवं जागरूकता अभियान प्रचलित किए जा रहे हैं जिसके क्रम में आज दिनांक 23.09.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम, एन्टी रोमियो स्क्वाड थाना लोनी टीम द्वारा संयुक्त रुप से मिशन शक्ति-5 अभियान के अन्तर्गत कम्पोजिट स्कूल गढी कटैया के 50 बच्चों को अध्यापिकाओं के साथ थाना लोनी पर विजिट कराया गया जिसमें बच्चों को महिला सुरक्षा व महिला सशक्तीकरण के सम्बन्ध में जागरूक करते हुए लैंगिक अपराध, साइबर सुरक्षा व विभिन्न हेल्पलाइन-1090, 181, 112, 1098, 1076 आदि के बारे में

जानकारी दी गई एवं जागरुकता हेतु पम्पलेट वितरण किये गये। बच्चों को टॉफी व चॉकलेट वितरण की गयी।

प्रचार प्रसार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।